तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2021	अपीलार्थी-2 के वकील उप.। अप्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एकतरफा। प्रार्थिनी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलार्थी-2 की अपील को स्वीकार निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी, श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

अपील संख्या 76/2018

अपीलान्ट

1. गोमी देवी पुत्री राणाराम पत्नी कुंभाराम जाति जाट निवासी ' नीम्बली ग्राम पंचायत दूधवा तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर।

उत्तरदातागण

1. सरपंच ग्राम पंचायत दूधवा तहसील पचपदरा
2. धुडाराम पुत्र राणाराम
3. रामाराम पुत्र राणाराम
4. रूपाराम पुत्र राणाराम जातियान जाट निवासीयान–निम्बली तह0 पचपदरा जिला–बाडमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।
6. हल्का पटवारी ग्राम पंचायत दूधवा
7. शाखा प्रबंधक एसबीआई– पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि01956 बरखिलाफ आदेश ग्राम पंचायत दूधवा नामान्तरण संख्या–32 सरहद मौजा नीम्बली पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा।

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपस्थितिः– 1. श्री रूघाराम कडवासरा वकील अपीलान्ट

निर्णय दिनांक :– 09.03.2021

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 की पैतृक कृषि भूमि खेत खसरा न पुराना 267 वर्तमान खेत खसरा न0 385/267 रकबा 49 बीघा 8 विस्वा, खेत खसरा न पुराना 285 वर्तमान खेत खसरा न0 404/285 रकबा 100 बीघा 05 विस्वा कुल रकबा 149 बीघा 13 विस्वा सरहद मौजा नीम्बली पटवार क्षेत्र दूधवा भू–अभिलेख क्षेत्र दूधवा तहसील पचपदरा में आयी हुई है, जिस पर अपीलान्ट का 1/4 हिस्से पर कब्जा कास्त है एवं शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हिस्सा 1/4, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का 1/4 हिस्सा व कब्जा कास्त है। अपीलान्ट गोमीदेवी के पिता स्व. राणाराम ... होने पर नामान्तरकरण संख्या 32 खेत खसरा न0 267, 285 सरहद मौजा नीम्बली ... कृ... में नामान्तरकरण दर्ज किया गया था जिसमें अपीलान्ट का नाम ... दर्ज नहीं हुआ ... अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 सगे भाई–बहिन है एवं हिन्दु रीति–रिवाज को मानने वाले ... / महिला है एव जाति के जाट है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार के तहत स्व. राणाराम की ... कृषि भूमि में अपीलान्ट अपना हक–हिस्सा पाने का अधिकारी है। अपीलान्ट ने अन्त में निवेदन किया गया कि उपरोक्त आराजी भूमि में मेरा पिता स्व. राणाराम के पैतृक व कब्जासुदा भूमि के सम्पूर्ण रकबे में 1/4 हिस्सा अनुसार माफिक राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:24:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट की अपील को म्याद के बिन्दु पर सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदातागण 1 ता 7 को सम्मन रजि.एडी से भिजवाये गये, रजिस्टर्ड एडी सम्मन भिजवाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनको तामील की तारीफ में मानते हुए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

अपीलान्ट विद्ववान अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । अपील के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071–2074, नामान्तरकरण संख्या 32 की प्रमाणित प्रतियों का अध्ययन किया गया है। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को सदभावी देरी मानते हुए क्षमा योग्य है, क्योकि अपीलाधीन आदेश प्रार्थीनी को बिना सुने पारित किया गया है, लिहाजा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील को म्याद में शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट गोमीदेवी के पिता स्व. राणाराम के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 32 खेत खसरा न0 267, 285 सरहद मौजा नीम्बली की कृषि भूमि में नामान्तरकरण दर्ज किया गया था जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है।स्व0 राणाराम की फौतगी पर नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व उत्तरदाता संख्या 01 को स्व0 राणाराम के विधिक वारिसान की जांच की जानी आवश्यक थी, उत्तरदाता संख्या 01 को स्व0 राणाराम के विधिक वारिसान की जांच किये बिना मौजा दुधवा के नामान्तरकरण संख्या 32 ग्राम पचांयत दुदवा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त करने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर मौजा दुधवा के नामान्तरकरण संख्या 32 ग्राम पचांयत दुदवा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे स्व0 राणाराम के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करें।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 09.03.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:24:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner